देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ......1284.../भू अ० दिनांक : 16/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–चपरिया, थाना–देवघर, थाना सं०–350, अंचलः–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **पिछड़ीबाद (MDR-229 पर)–संग्रामलोढ़िया–देवसंग मोड़ (देवघर) (बैद्यनाथपुर–कोरियासा पथ पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (कुल लम्बाई–16.075 कि०मी०) (पुल निर्माण सहित) कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–चपरिया, थाना–देवघर, थाना सं०–350, अंचलः–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.78 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०) उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	13	रैयती	बाड़ी–2	0.05	अकलु महतो वल्द शामलाल महतो वो मधु महतो वो बेधनाथ महतो वो मुल्लका महतो पे० डोमन महतो (ज०रै०)	माली डीह (336)	अर्जित खेसरा का शेष अंश	कोरिया टांड़ (359)	लख नगड़ई (352)
2	3	27	रैयती	बाड़ी–2	0.01	हरि राउत पे० एतवारी राउत नि० कोकराजोरी।				
3	13	29	रैयती	बाड़ी–2	0.18	भरत यादव पे० रामेश्वर महतो वो राजेन्द्र यादव वो संजय यादव पे० चन्द्र महतो जाति ग्वाला। नि०–नीज ग्राम				
4	13	3	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव।				
5	15	32	रैयती	बाड़ी–2	0.15	चंडीलाल साह वो श्याम साह वो नंदकिशोर साह पे० अयोध्या साह वो सुभाष साह वो ब्रहमदेव साह पे० गणेश प्रसाद साह वो हीरालाल साह वो गिरधारी लाल साह पे० बलभद्र साह वो शंकर साह वो गोपाल साह पे० मदन साह वो पुनम देवी पति हरेराम साह वो धनश्याम साह वो सुनील साह वो प्रदीप साह पे० कन्हाई साह वो सत्यनारायण साह वो भुवनेश्वर साह वो राजेन्द्र साह पे० सरजु साह वो शंभू साह वो कैलाश साह वो पंकज साह पे० नुनुलाल साह नि०नि०ग्राम।				

6	20	8	रैयती	बाड़ी–2	0.06	शिबू राय वो झबु राय पे० छकन राय वो दूबर राय वो नकुर राय वो खीरो राय पे० रघुनाथ राय वो कार्तिक राय माता फुलेश्वरी देवी जाति घटवाल नि० कोकराजारी।				
7	20	23	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
8	20	26	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
9	25	28	रैयती	बाड़ी–2	0.02	रामटहल महतो वो तुलसी महतो वो गोनो महतो पे० जीतू महतो। जाति ग्वाला नि० नि०ग्राम।				
10	28	12	रैयती	बाड़ी–2	0.01	बैजनाथ महतो पे० सुकर महतो वो कुसुमी देव्या पति पधू महतो वो प्रसादी महतो पे० सीतो महतो वो लखन महतो वो भरत यादव पे० रघुनाथ महतो वो चतुर महतो पे० समर महतो वो गोबिन्द महतो वो वकील महतो पे० नुनेश्वर महतों जाति ग्वाला नि० नि० ग्राम।				
11	28	17	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव।				
12	30	4	रैयती	बाड़ी–2	0.04	शहदेव महतो वो महादेव महतो वो कार्तिक महतो वो बुधन महतो पे० लोकेश्वर महतो वो चंदन महतो वो सुफल महतो पे० भगतु महतो वो ठाकुर महतो वो छोटी महतो वो सुरेश महतो पे० नुनलाल महतो वो जगेश्वर महतो वो भुवनेश्वर महतो पे० मुसो महतो वो चिन्ता देवी पति कटी महतो वो डुगनी देवी पे० नानो महतो वो दिनेश यादव माता मुंद्रिका देवी वो डोमन महतो पे० मुरल महतो वो टीपन महतो वो मथुरा महतो पे० मुंशी महतो जाति ग्वाला नि०नि०ग्राम				
13	30	9	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
14	30	15	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
15	30	18	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
16	30	25	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
				कुल रकवा–	**0.78**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी देवघर 30/7/21 | अपर समाहर्त्ता देवघर 07-8 | 11/08/2021 समाहर्त्ता-सह-उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 1284/ भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी देवघर 30/7/21 | अपर समाहर्त्ता देवघर 07-8 | 11/08/2021 समाहर्त्ता-सह-उपायुक्त, देवघर।